प्रेस विज्ञप्ति
बिहार पुलिस मुख्यालय,
दिनांक–08.09.2023 (सं0–396)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी/चेहल्लूम पर्व

- राज्य में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी/चेहल्लूम पर्व दिनांक 06.09.2023 एवं 07.09.2023 को शान्तिपूर्ण तरीके से मनाया गया।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी/चेहल्लूम के अवसर पर पूरे राज्य में पर्व के शान्तिपूर्ण समापन तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु राज्य के सभी जिलों में व्यापक स्तर पर सुरक्षा प्रबन्धन तथा अन्य अपेक्षित व्यवस्थाओं को किया गया था।
- उक्त अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति निम्न प्रकार से की गयी है:–

    1. बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त किये जाने वाले बल–19 कम्पनी + 265 सिपाही/हवलदार
    2. क्षेत्रीय स्तर से प्रतिनियुक्त किये जाने वाले बल–12 कम्पनी (दंगा निरोधक)
    3. केन्द्र से प्राप्त–06 कम्पनी अर्द्धसैनिक बलों (02 कम्पनी RAF, 02 कम्पनी CRPF, 02 कम्पनी SSB) को भी लगाया गया है।

- सभी जिलों में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश से बल तथा दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
- पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस हेतु मुख्यालय स्तर पर स्टेट पुलिस कमाण्ड सेण्टर का भी गठन किया गया है। जिसमें 02 पुलिस अधीक्षक 05 पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जिनके द्वारा 24 घण्टें निगरानी रखी जा रही है।
- सोशल मीडिया पर हो रही गतिविधियों पर भी पुलिस मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेन्टर के द्वार 24X7 निगरानी रखी जा रही है।
- राज्य में 808 चेहल्लूम का जुलूस निकाले जाने की सूचना है, जिसमें आज प्रातः 16 बजे तक 639 से अधिक जुलूस का शान्तिपूर्ण पहलाम हो गया।
- प्राप्त सूचना अनुसार अभी तक कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। भोजपुर जिले के सदर थानान्तर्गत अन्तर्गत थाना से लगभग 01 कि0मी0 शीशमहल चौक के निकट चेहल्लूम पहलाम के उपरान्त लौटने के क्रम में रात्रि करीब 23:00 बजे कुछ विवाद उत्पन्न हुआ किन्तु तत्काल पुलिस पदाधिकारियों एवं बल के द्वारा मामले को शान्त करा दिया गया। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, भोजपुर द्वारा भी अद्धरात्रि को हीं घटनास्थल पर पहुँकर मामले की जाँच एवं आवश्यक कार्रवाई किया गया। घटनास्थल पर पुलिस पदाधिकारियों एवं बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। विधि व्यवस्था की स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है। काण्ड अंकित कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

xxxxxxxx